प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 03.08.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 85,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 85,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन,अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0स0 374/2025 धारा 64(2)m,352,351(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित विरुद्ध कार्य करने वाला अभियुक्त के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विनय कन्नौजिया पुत्र मनराज कन्नौजिया निवासी हकीमपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उमरिया बाजार में दुर्गा मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 02.08.2025 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री के साथ बहलाकर फुसलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 03.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वि0उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 मुन्नेलाल गुप्ता, का0 अजीत गुप्ता।